(69) (1)

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग – 1856 – I – 16

श्री अजय श्रीवास्तव (एड.) द्वारा आज दि. 8/6/16 को प्रस्तुत

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582–244808

1. मइयादीन पिता स्व. श्री बलराम पाण्डेय
   निवासी ग्राम गंज तह. राजनगर जिला छतरपुर
2. मनोज यादव पिता रघुवीर यादव
   नि. मोहल्ला किशोरगंज पन्ना म.प्र.
3. मोहन सिंह पिता रूप नारायण यादव
   निवासी ग्राम खजरी कुड़ार, तह. जिला पन्ना
4. रामचरण पिता मुल्लू ढीमर
   नि. मोहल्ला रानीगंज पन्ना ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन,
द्वारा शिकायतकर्ता अनिल गुप्ता पिता रामसेवक पंसारी
नि. मोहल्ला किशोरगंज जिला पन्ना ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के प्र.क्र.07/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दि. 02–06–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर पन्ना के समक्ष शिकायतकर्ता अनिल गुप्ता द्वारा शिकायती आवेदनपत्र प्रस्तुत किए जाने पर आवेदकगणों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका समुचित उत्तर प्रदान किए जाने के उपरांत प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं दस्तावेजों का परिशीलन किए बिना, बिना किसी साक्ष्य एवं प्रतिपरिक्षण के स्वमेव निग के तहत प्रश्नाधीन भूमि शासन में दर्ज किए जाने का आदेश दिनांक 02.06.16 को पारित किया गया हैं जिसके विरूद्ध यह निगरानी संशोधन अधिनियम के तहत विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रहीं है।

2. यह कि विवादित भूमि का पट्टा आवेदक क्र. 4 रामचरण पिता मुल्लू ढीमर को न्यायालय तहसीलदार पन्ना के प्र.क. 91/अ–19/1973–74 में आदेश दि. 20.12.73 को प्रदान किया गया था तथा आदेश दिनांक 12.03.91 के तहत पट्टाधारी को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए खसरा में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया था तभी से आवेदक विधिवत रूप काबिज रहा। भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत पट्टेदार द्वारा आवेदक क्र. 1, 2, 3 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 31.10.15 को विक्रयपत्र निष्पादित किया शिकायतकर्ता के शिकायती आवेदनपत्र के आधार पर कलेक्टर पन्ना द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत क्रयशुदा भूमि को शासन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है। जबकि भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरांत किए गए वैद्य अंतरण को स्व.निग. के तहत निरस्त किए जाने से पारित अदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... निग. 1836/I/16 ... जिला ..... पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-6-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक केविएटकर्ता की ओर से प्रवीण खरे एवं मुकेश भार्गव अधिवक्ता उपस्थित, उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के प्र.क्र.07 / अ—21 / 2015—16 में पारित आदेश दि. 02—06—2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2— उपभपक्ष अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया विचाराधीन प्रकरण में कलेक्टर पन्ना द्वारा विस्तृत व्याख्या उपरांत शासकीय पट्टे में प्राप्त भूमि का वर्ष 2015 में निष्पादित विक्रयपत्र को कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना किए जाने से अंतरण अकृत मानते हुए प्रश्नाधीन भूमि को शासन में दर्ज किए जाने का विधि सम्मत आदेश पारित किया है तथा उन्होंने राजस्व रिकार्ड में फर्जी प्रविष्टि के तहत शासन की भूमि प्राप्त किए जाने से भूमि शासन में निहित की है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ। इस कारण प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	